कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर

विज्ञप्ति

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में संविदात्मक आधार पर अंशकालिक सफाईकर्मियों के कुल 02 अस्थायी पद (रू. 6000/– मासिक नियत मानदेय) पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

चयन हेतु निर्धारित अर्हताएँ व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट www.allahabadhighcourt.in एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/gorakhpur पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नियुक्ति से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट/केन्द्रीय नजारत से किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त की जा सकती है।

11-10-2022

(अशोक कुमार–एकादश)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
गोरखपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः–

1. नाजिर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर।
2. नाजिर, सदर कलेक्ट्रेट, गोरखपुर।
3. नाजिर, तहसील सदर, गोरखपुर।
4. मुख्य नगर अधिकारी, नगर–निगम, गोरखपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, विकास भवन, गोरखपुर।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोरखपुर में समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. सूचना पट्ट, जनपद न्यायालय, गोरखपुर पर चस्पा करने हेतु।
8. रेलवे जंक्शन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
9. बस स्टेशन, गोरखपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय, गोरखपुर को माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

कार्यवृत्ति चयन समिति

आज दिनांक10 ~~6~~.10.2022 को चयन समिति की बैठक समिति के वरिष्ठ सदस्य **श्री अशोक कुमार एकादश अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं.-01, गोरखपुर** के विश्राम कक्ष में सायं 04:00 बजे आहूत की गयी, जिसमें चयन समिति के सदस्य **श्री अरूण कुमार यादव सिविल जज (सि.डि.), गोरखपुर** उपस्थित रहें।

केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय, गोरखपुर की आख्या दिनांक 14.07.2022 जो कि इस न्यायिक प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु वर्तमान में **इस न्यायिक प्रतिष्ठान में 02 अंशकालिक सफाईकर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में है,** पर प्रभारी अधिकारी नजारत के पत्र दिनांकित 19.07.2022 पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 20.07.2022 द्वारा प्रभारी अधिकारी नजारत का उक्त पत्र इस न्यायिक प्रतिष्ठान की चयन समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित है, जिसके अनुपालन में केन्द्रीय नाजिर की आख्या दिनांक 14.07.2022 एवं प्रभारी अधिकारी नजारत का पत्र दिनांकित 19.07.2022 पर समिति द्वारा विचार किया गया।

केन्द्रीय नाजिर की उक्त आख्या द्वारा अवगत कराया गया है कि इस न्यायिक प्रतिष्ठान की चयन समिति की आख्या दिनांकित 07.03.2021 पर तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 08.03.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित 07 अंशकालिक सफाईकर्मियों को साक्षात्कार एवं कार्य क्षमता के परीक्षण के उपरांत सफाईकर्मी के पद पर कार्य करने हेतु योग्य पाते हुए संविदा के आधार पर प्रतिमाह मु०-6,000/-रु. नियत मासिक मानदेय (कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं) पर नियुक्ति की गयी थी-

1 **श्री सूरज कुमार**
2 **श्री करन कुमार बांसफोर**
3 **श्री अन्नीश कुमार**
4 **श्री विक्रम भट्ट**
5 **श्री आशुतोष कुमार**
6 **श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय**
7 **श्री सलमान**

चयन समिति की आख्या दिनांकित 07.03.2021 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो के अधीन उपरोक्त अंशकालिक सफाईकर्मियों की नियुक्ति इस न्यायिक प्रतिष्ठान में अंशकालिक सफाईकर्मी के रूप में की गयी थी-

1 **नियुक्त अंशकालिक सफाईकर्मियों को नियमित सेवा का कोई अधिकार नहीं होगा।**
2 **नियुक्त सफाईकर्मियों को प्रतिमाह मु०-6,000/-रु. मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा, जिस पर कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।**
3 **नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।**
4 **अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र तीन माह के लिए जारी होगा। तीन माह उपरांत इनके कार्य आचरण की समीक्षा के उपरांत इनकी सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है।**
5 **नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त अभ्यर्थियों को दो संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

उपरोक्त 07 अंशकालिक सफाईकर्मियों की सेवा विस्तार के संबंध में चयन समिति की आख्या दिनांक 19.10.2021 जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक 19.10.2021 को अनुमोदित की गयी है, के अनुपालन में **सफाईकर्मी श्री सूरज कुमार एवं श्री करन कुमार बांसफोर द्वारा संविदा भंग किये जाने के कारण उनकी सेवा 01 मई 2021 से औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गयी है जिस कारण वर्तमान में 02 अंशकालिक सफाईकर्मियों के पद रिक्त हैं** जिससे न्यायालय परिसर की नियमित साफ-सफाई के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।

जनपद न्यायालय, गोरखपुर परिसर की साफ-सफाई हेतु 07 अंशकालिक सफाईकर्मियों की नियुक्त के संबंध में इस न्यायिक प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति की आख्या दिनांकित 23.09.2020 के प्रकाश में इस कार्यालय के पत्र संख्या-1502/I दिनांक/गोरखपुर/सितंबर 24, 2020 द्वारा 07 सफाईकर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमित माँगी गयी, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1774 /Main -A/Admin. 'D' Section /Allahabad ; Dated: 06.02.2021 द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है।

" District Judge is the competent Authority for engaging part-time sweepers in the Judgeship, so he may be directed to take necessary action in accordance with the provision laid down in G.O. No. 1963/Saat-Nyay-2-2000-41G/97 dated 19.10.2000 read with G.O. No. 15/ 2016/ 1111/ Saat-Nyay-2-2016-41G/97 dated 10.08.2016"

शासनादेश दिनांकित 19.10.2000 के माध्यम से प्रत्येक 05 न्यायालय कक्षों तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों/शौचालयों की साफ-सफाई के कार्य हेतु संविदा के आधार पर अंशकालिक रूप से नियत वेतन पर सफाईकर्मी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा शासनादेश दिनांकित 10.08.2016 के माध्यम से नियुक्त सफाईकर्मियों को 2,000/- रु. के स्थान पर 6,000/- रु. प्रतिमाह मानदेय भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.2021 के परिप्रेक्ष्य में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 18.02.2021 के अनुपालन में शासनादेश नं. 1963/Saat-Nyay-2-2000-41G/97 dated 19.10.2000 read with G.O. No. 15/ 2016/ 1111/ Saat-Nyay-2-2016-41G/97 dated 10.08.2016 के सम्यक परिशीलन के उपरांत समिति की राय में इच्छुक व्यक्तियों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर मात्र साक्षात्कार के आधार पर उपयुक्त व्यक्तियों को संविदा के आधार पर केन्द्रीय नाजिर की आख्या दिनांकित 14.07.2022 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में इस न्यायिक प्रतिष्ठान में रिक्त चल रहे 02 अंशकालिक सफाईकर्मियों के पदों पर नियुक्ति की जा सकती है। तद्नुसार समिति द्वारा विज्ञप्ति तैयार की गयी , जो इस आख्या के साथ संलग्न है।

समिति की आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश /**अध्यक्ष चयन समिति** के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित है।

दिनाक-10.10.2022

Arun Kumar Yadav 10/10/22
(अरूण कुमार यादव)
सदस्य चयन समिति/
सिविल जज सी.डि.,
गोरखपुर।

10-10-2022
(अशोक कुमार एकादश)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं.-01,
गोरखपुर।

Approved to be filled as per rules & regulations

11/10/22

कार्यालय चयन समिति, जनपद न्यायालय, गोरखपुर।

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में संविदा के आधार पर अंशकालिक सफाईकर्मी के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य निर्देश

जनपद न्यायालय, गोरखपुर में संविदा के आधार पर अंशकालिक सफाईकर्मियों के कुल 02 अनारक्षित पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सफाईकर्मियों के उक्त पद विशुद्ध रूप से अस्थायी है तथा संविदात्मक आधार पर भरा जाना है। पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को मात्र रु. 6,000/- मासिक नियत मानदेय दिया जायेगा, जिस पर कोई अतिरिक्त भत्ता आदि देय नहीं होगा। नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

1. सफाईकर्मी के उक्त पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक को देवनागरी लिपि में हिन्दी के शब्दों में लिखने व पढ़ने का ज्ञान होना आवश्यक है। आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से जूनियर हाईस्कूल या उ.प्र. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा सफाई कार्य में दक्ष होना आवश्यक है।
2. आवेदक की आयु 01.10.2022 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।
3. समस्त शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि एवं जाति प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
4. इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने निवास क्षेत्र के दो संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
5. चयन हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 20.10.2022 को अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेखों एवं प्रार्थना-पत्र के साथ प्रातः 10:00 बजे जनपद न्यायालय परिसर में उपस्थित होंगे।
6. किसी भी तरह की सिफारिश अयोग्यता मानी जायेगी, जिसके आधार पर आवेदक की उम्मीदवारी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जायेगी।
7. अभ्यर्थी का चरित्र नियुक्ति अधिकारी की संतुष्टि के अधीन उत्तम होना चाहिए। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उसे विधि द्वारा स्थापित न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता के अपराध हेतु दण्डित नहीं किया गया है।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्साधिकारी,गोरखपुर द्वारा जारी स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नियुक्ति की तिथि से एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना आवश्यक है।
9. साक्षात्कार हेतु उपस्थित व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

दिनांक- 10.10.20222

Arunyadav 10/10/22
(अरूण कुमार यादव)
सदस्य चयन समिति/
सिविल जज सी.डि.,
गोरखपुर।

10-10-2022
(अशोक कुमार एकादश)
वरिष्ठ सदस्य चयन समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं.-01,
गोरखपुर।

Seen
11/10/22